Newsletter

January - March, 2018 Issue

पुनर्नवा

Bouncing back to life again and again...

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

पटना

हमारी गतिविधियाँ, कुछ झलकियाँ

Mentor: **Sri Vyas Ji,** IAS (Retd.), Vice-Chairman BSDMA, **Sri U. K. Misra,** Member BSDMA**, Sri P. N. Rai,** Member BSDMA
Editor in Chief: **Sri S. B. Tiwari** (OSD to VC), **Sr. Editor:** **Monisha Dubey**
Editorial Board: **Dr. Satendra, Dr. A. K. Shukla, Sri B. K Mishra, Sri Ajit Samaiyar, Dr. Shankar Dayal**
Dr. Ashok K. Sharma, Dr. Madhubala, Sri Praveen Kumar, Dr. Jivan Kumar, Sri Pallav KUmar, Smt. Shivani Gupta
IT: **Smt. Sumbul Afroz, Sri Manoj Kumar** **Write us on:** **E-mail:** info@bsdma.org
Website & Social Media: www.bsdma.org, www.facebook.com/bsdma

विषय सूची

पृ. सं

1.	भूकम्प सुरक्षा सप्ताह–2018	05
2.	'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	12
3.	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	14
4.	अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों के लिए भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण	16
5.	बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र की स्थापना	18
6.	सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण	19
7.	नौकाओं के सर्वेक्षण/निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
8.	सड़क सुरक्षा सत्याग्रह	23
9.	**Developing Action Plan for Prevention /Reduction of Road Accidents - A Report**	25
11.	**Child-Focused Vulnerability Assessment and City Resilience : Strategic Directions for Patna Urban** पर एक दिवसीय कार्यशाला	28
12.	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	30
13.	ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम हेतु आयोजित राज्यस्तीय बैठक	35
14.	बिहार दिवस, 2018	38
15.	जिला आपदा प्रबंधन योजना का प्रगति प्रतिवेदन	41
16.	निमार्णाधीन सेप्टिक टैंक में दम–घुटने की दुर्घटना : कारण बचाव	42
17.	**Mass Messaging/Whatsapp Advisory**	44
18.	अखबारों में प्रकाशित **Advisory**	45
19.	आपदा संबंधित शब्दावली	47

'राज्य के खजाने पर आपदा-प्रभावितों का पहला हक है....'

–श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री

(The Disaster affected people have the first right on the state,'s 'treasury')

Shree NITISH KUMAR Hon'ble Chief Minister, Bihar in his inaugural address of the first Bihar conference on Disaster Risk Reduction (BCDRR), 13th-14th May 2015, Patna, Bihar

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह-2018

(15–21 जनवरी)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 15–21 जनवरी तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान राज्य एवं जिलास्तरीय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

इस वर्ष भी 2018 में 15–21 जनवरी तक भूकम्प से सुरक्षा हेतू कई कार्यक्रमों एवं मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही कुछ नए कार्यक्रमों का भी आगाज किया गया।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित कुछ कार्यक्रम

1. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. पूर्व में चलाए जा रहे अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों, वास्तुविदों, संवेदकों के लिए भूकम्परोधी निर्माण तकनीक संबंधित प्रशिक्षण तथा पूर्व में निर्मित मकानों का रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकम्परोधी बनाया जाए, कार्यक्रम को भी विस्तारित किया गया।
3. माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेश पर पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. प्राधिकरण, द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केन्द्रित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जुलाई के प्रथम पखवाड़े में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा (1-15 जुलाई) एवं विद्यालय सुरक्षा दिवस (4 जुलाई) का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्यक्रम के लिए जनवरी 2017 से व्यापक रूप से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष 15-21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह 2018 का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष उक्त तिथियों का राज्य भर में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

बिहार राज्य भूकम्प की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। राज्य के 8 जिले भूकम्प जोन V, 24 जिले जोन IV एवं शेष 6 जिले जोन III के अन्तर्गत आते हैं। अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 15 से 21 जनवरी तक ''भूकंप सुरक्षा सप्ताह' के रूप में मनाते हुए जनमानस में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भूकंप के प्रति सजगता एवं उससे निपटने के लिए जनमानस की तैयारी सुनिश्चित की जाए। तदनुसार इस पूरे सप्ताह के दौरान अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा मॉकड्रील पर विशेष बल दिया जाता है।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह मनाने हेतु राज्य स्तर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य भर में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह मनाने की तैयारी के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों एवं अन्य हितभागियों के साथ बैठक का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्राधिकरण के सभा कक्ष में उपाध्यक्ष श्री व्यास जी की अध्यक्षता में किया गया। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गयी।

जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा

(1) NDRF/SDRF एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से समाहरणालयों, जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/कारखानों तथा चुनिन्दा अपार्टमेंटो में भूकम्प संबंधी Mockdrill का आयोजन।

(2) विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों के बीच भूकम्प एवं उससे सुरक्षा/बचाव पूर्व तैयारियों के विषय पर पेंटिंग, निबंध, नारा लेखन, नाटक एवं वाद-विवाद जैसी प्रतियोगितायों का आयोजन।

(3) पंचायतों एवं जन प्रतिनिधियों को भूकम्परोधी एवं आपदारोधी भवनों के निर्माण तथा भूकम्प से सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में संवेदित करने हेतु/बैठक/गोष्ठियों का आयोजन।

(4) गीतों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जिले में भूकम्प संबंधी जागरूकता का प्रचार-प्रसार।

(5) सिनेमा हॉलों में स्लाईड्स के माध्यम से भूकम्प से सुरक्षा के उपायों का प्रचार, सार्वजनिक स्थानों,

सभी सरकारी कार्यालयों यथा; अनुमंडल, अंचल, प्रखंड, पंचायत स्तरीय गैर सरकारी कार्यालयों, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्यवहार न्यायालय, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, हाट-बाजार, नगरपालिका एवं नगर निगम के वार्डो, इत्यादि में भूकम्प सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।

(6) भूकम्प सुरक्षा संबंधी प्रभातफेरी, मानवश्रृंखला का निर्माण आदि किया जाना।

(7) भूकम्प संबंधी लघु फिल्मों का प्रदर्शन।

उपरोक्तानुसार राज्य के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया।

राज्य स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलक 15 जनवरी 2018

भूकंप सुरक्षा सप्ताह - 2018 का आगाज मगध महिला कॉलेज, पटना के प्रांगण से किया गया। भूकंप की स्थिति में 'क्या करें क्या न करें' की जानकारी मॉकड्रिल के माध्यम से कॉलेज के छात्राओं को दी गयी। सर्वप्रथम एन.डी.आर.एफ. द्वारा साइरन बजाकर वास्तविक भूकंप की स्थिति का संकेत दिया गया जिसके बाद क्लास में छात्राओं द्वारा 'झुको, ढको एवं पकड़ो' का अभ्यास किया गया। भूकंप समाप्त होने के संकेत के रूप में फिर अगले साइरन पर छात्राएँ क्रमबद्ध तरीके से क्लास रूम एरिया से खुले मैदान (एसम्बली एरिया) में एकत्रित हुई। वहाँ प्रत्येक कक्षा के पूर्व निर्धारित ग्रुप लिडर द्वारा हेड काउन्टिंग कर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी छात्राएं भूकंप के उपरांत सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुकी हैं।

मॉकड्रिल के अतिरिक्त मगध महिला कॉलेज सहित इको पार्क, सगुना मोड़ तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान के गेट नं0 - 1 पर आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा गीत-संगीत एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन कर भूकंप से सुरक्षा हेतु जागरूकता का संदेश जनमानस को दिया गया।

16 जनवरी 2018

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण' विषय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त अरण्य भवन परिसर में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल तथा आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा भूकंप से बचाव हेतु गीत-संगीत एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन विभिन्न स्थानों पर किया गया ।

अरण्य भवन परिसर में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जहां कि भूकम्प के समय वास्तविक स्थिति को दशार्ते हुए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) द्वारा अरण्य भवन स्थित कार्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माकड्रिल का अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ प्री हॉस्पीटल ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण पदाधिकारियों/कर्मियों को दिया गया। अरण्य भवन स्थित 18 कार्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का लाभ उठाया।

मॉकड्रिल के अतिरिक्त आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा भूकंप से बचाव हेतु गीत-संगीत एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन कर भूकंप से सुरक्षा हेतु जागरूकता का संदेश जनमानस को विभिन्न स्थानों एस0के0पुरी पार्क, तारामंडल तथा पटना जं0 पर दिया गया।

17 जनवरी 2018

तीसरे दिन

- बिहार विधान परिषद् में एन0डी0आर0एफ0 के नेतृत्व में आयोजित मॉकड्रिल में लगभग 600 सौ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
- विद्युत भवन में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल
- बिस्कोमान भवन, पटना विश्वविद्यालय एवं कालिदास रंगालय में आपसदारी कला मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

विधान सभा अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रमों एंव भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल की सराहना की। साथ ही आपदा संबंधी किसी भी जागरूकता कार्यक्रम को विधान सभा परिसर से शुरूआत करने की सलाह दी, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके।

विद्युत भवन में मॉकड्रिल में भूकम्प के समय वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) द्वारा एस0बी0पी0डी0सी0एल0, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं बी0एस0पी0 एच0सी0एल0 के लगभग 2000 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माकड्रिल का अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ प्री हॉस्पीटल ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण पदाधिकारियों/कर्मियों को दिया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, श्री उदय कांत मिश्र ने इस तरह के मॉकड्रिल अभ्यास को निरंतर कुछ माह के अंतराल पर स्वयं ही आयोजित करने पर बल दिया।

18 जनवरी 2018

चौथे दिन

बिहार के 38 जिलों के मुखिया, सरपंच, एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिये जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत 18-19 जनवरी 2018 को मधुबनी जिला के प्रत्येक प्रखंड के एक मुखिया, एक सरपंच प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के प्रथम बैच का उद्घाटन बामेती, पटना में किया गया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कहा कि बिहार आपदा प्रवण राज्य है और ऐसी कोई आपदा नहीं जिससे मधुबनी जिला प्रभावित नहीं होता है उन्होंने कहा कि आपदाओं से मुकाबला करना हो तो मधुबनी से शुरू किया जाए। किसी भी आपदा में समुदाय सबसे पहले प्रभावित होता है और रिस्पांड (First Responder) भी सबसे पहले करता है। आपदा में केवल राहत देने से नहीं होगा, आपदा के जोखिम को पहचान कर उससे लड़ने के लिए क्षमता में विकास करना होगा। प्राधिकरण की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने गांव तक पहुंचने का निर्देश दिया था जिससे तहत प्राधिकरण द्वारा बिहार के 38 जिलों के मुखिया, सरपंच, एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिये जाने के कार्यक्रम का आगाज मधुबनी जिले से किया जा रहा है।

मॉकड्रील एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन

- पी0एम0सी0एच अस्पताल, संत कैरेन्स हाई स्कूल एवं टेलीफोन भवन में एन0डी. आर0एफ0 द्वारा भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल
- एम्स, भगत सिंह चौक, फुलवारीशरीफ, तथा दानापुर रेलवे स्टेशन में आपसदारी कला मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

एन0डी0आर0एफ0 द्वारा पी0एम0सी0एच0 में कराये गये मॉकड्रिल में श्री व्यास जी ने कहा कि हास्पीटल की महत्ता किसी भी आपदा के बाद बढ़ जाती है और भूकम्प जैसी आपदा में यदि हॉस्पीटल के डॉक्टर, नर्से या अन्य कर्मचारी आपदा के शिकार हो जायें तो हॉस्पीटल की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए भूकम्प पर कराये जा रहे मॉकड्रिल को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे जब कभी भी इस प्रकार की आपदा आये तो आप आपके आस-पास के लोग एवं घर परिवार को बचाया जा सके। भूकम्प किसी की जान नहीं लेता है परंतु कमजोर भवनों के निर्माण से लागों की जान चली जाती है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी अस्पतालों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा। इसके लिए भवन निर्माण विभाग एवं बि0एम0आई0सी0एल0 के अभियंताओं को आर0भी0एस0 एवं रेट्रोफिटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

नियोजन भवन में एस0डी0आर0एफ0 द्वारा मॉकड्रिल कराया गया

इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कहा कि राज्य के सभी जिले किसी न किसी खतरनाक जोन में आते हैं। राज्य के आठ जिले सीतामढ़ी मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज, दरभंगा भूकंप के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संवेदनशील, जोन V में आते हैं। इसी प्रकार से अन्य चौबीस जिले जोन IV तथा शेष छः जिले, जोन III में आते हैं। इस प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के मद्देनजर इसके लिए जनमानस में भूकंप से बचाव की तैयारी एवं इसके प्रति जागरूकता का होना आवश्यक है। भूकम्प की भविष्यवाणी नहीं का जा सकती है, लेकिन उससे बचने के लिए पूर्व में तैयारी की जा सकती है। सभी को मॉकड्रिल को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मॉकड्रिल में सिखाये जा रहे झुको, ढको, पकड़ो के मॉकड्रिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया है। भूकम्प किसी की जान नहीं लेता है परंतु कमजोर भवनों के निर्माण से लोगों की जान चली जाती है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी घरों, स्कूलों, भवनों अस्पतालों को भूकम्परोधी बनाया जायेगा। इसके लिए अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों को प्राधिकरण द्वारा रेट्रोफिटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

20 जनवरी 2018

चित्रांकन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता

पटना के इको पार्क में सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से भुकम्प सुरक्षा सप्ताह कें अंतर्गत स्लम के स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 500 बच्चों ने उत्साह पूर्वक पेंटिंग एवं नारा लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। जिन्हें भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को पुरस्कृत भी किया गया। इसके पूर्व बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन0डी0आर0एफ0 के सहयोग से भूकम्प सुरक्षा सप्ताह, 2018 के अवसर पर भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन पटना के आर0पी0एस0 स्कूल में आयोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त

1. प्रत्यके दिन NMIT पटना के Dept. of Civil Engineering में स्थापित भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक का भ्रमण पॉलिटैक्निक के विद्यार्थियों द्वारा किया गया
2. भूकंपरोधी निर्माण तकनीक पर पटना जिले के अभियंताओं के अंतिम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 16-19 जनवरी तक आयोजित किया गया ।

21 जनवरी समापन/भूकंप सुरक्षा सप्ताह

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य भर में भूकंप सुरक्षा सप्ताह 2018 (15-21 जनवरी) को आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही 21 जनवरी को सप्ताह का विधिवत समापन किया गया। जहां एक ओर प्राधिकरण तथा सहभागियों द्वारा राज्य को भूकंप से सुरक्षित करने के साथ-साथ आपदा मुक्त बनाने की नई संभावनाओं के साथ नया संकल्प लिया गया, वहीं दूसरी ओर सप्ताह भर चले इस आयोजन में सक्रिय योगदान करने वाली संस्थाओं एवं लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

होटल समर्पण नेश इन, पटना में प्राधिकरण द्वारा भूकंप सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह की अध्यक्षता प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने करते हुए कहा कि प्राधिकार द्वारा आयोजित भूकंप सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य केवल सप्ताह मात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि मॉकड्रिल, जिसे भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान एन डी आर एफ एवं एस डी आर एफ द्वारा अभ्यास कराया गया, उसे हर महीने में करने की जरूरत है यदि हम इन 'क्या करें - क्या न करें' को जानते रहेंगे, तभी वास्ताविक आपदा के समय हम अपने साथ-साथ दूसरों की जान बचा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण का कार्यक्रम, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बिहार के कई प्रमुख कार्यालयों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों को भूकंप से बचाव के उपाय बताये गए। SDRF, NDRF और बिहार राज्य अग्निशाम तथा गृहरक्षा वाहिनी की टीम द्वारा मॉकड्रिल के माध्यम से तथा आपसदारी कला मंच द्वारा नुक्कड़ नाटकों का मंचन कर लोगों का जागरूक करने का प्रयास किया गया।

इस अवसर पर भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान स्कूली बच्चों के लिए आयोजित चित्रांकन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। चित्रांकन प्रतियोगिता में ग्रुप 1 (कक्षा

1-5) में अंशु कुमारी को प्रथम पुरस्कार, पिंकी कुमारी को द्वितीय पुरस्कार तथा तरूण राज को तृतीय पुरस्कार मिला, वहाँ ग्रुप 2 (कक्षा 6 से ऊपर) में गोलू कुमार को प्रथम पुरस्कार, कृष्णा कुमार को द्वितीय पुरस्कार तथा अंजलि कुमारी को तृतीय पुरस्कार मिला।

नारा लेखन प्रतियोगिता में ग्रुप 1 (कक्षा 1-5 में मधु कुमारी को प्रथम पुरस्कार (ढक लो सर उससे - जो मजबूत हो उससे), पूजा कूमारी को द्वितीय पुरस्कार (जो मजबूत हो उससे), पूजा कुमारी को द्वितीय पुरस्कार (जो करे भूकंप से बचाव के उपाय - उस पर कोई खतरा न मंडराय) तथा लक्ष्मी कुमारी को तृतीय पुरस्कार (भूकंप से पहले जानकारी पाएं- भूकंप आने पर सुरक्षा पाएं) मिला, वहीं ग्रुप 2 (कक्षा 6 से ऊपर) में राधा कुमारी को प्रथम पुरस्कार (भूकंप आने पर रूक जाएँ - फिर लाइन से बाहर निकल जाएँ,) रमन्ति कुमारी को द्वितीय पुरस्कार (भाइयों हमेशा रखो याद -भूकंप के दौरान न करना लिफ्ट का इस्तेमाल) तथा कुसुम कुमारी को तृतीय पुरस्कार (चाचा - चाची हमेशा रखना ध्यान -भूकंप के समय मत करना बिजली का इस्तेमाल) दी गई।

इस अवसर पर चित्रांकन एवं नारा लेखन जाँचं दल के अध्यक्ष प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री पवन को भी सम्मानित किया गया।

इस समारोह में श्री0पी0एन0राय, महानिदेशक, बिहार अग्निशाम सेवा एवं होम गार्ड्स, प्राधिकरण के सचिच श्री सांवर भारती, पाधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री एस. बी. तिवारी, NDRF के समादेष्टा श्री विजय सिन्हा, SDRF के द्वितीय कमान अधि कारी श्री ए.के.झा एवं श्री. के. झा एवं NDRF तथा SDRF के अन्य पदाधिकारी एवं कार्मिक, PMCH सहित अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। समारोह में जहाँ मॉकड्रिल्स का आयोजन हुआ, सेव द चिल्ड्रेन तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण को सम्मानित किया गया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में ''सुरक्षित गाँव'' के घटक के अंतर्गत, पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर गतवर्ष यह सुझाव दिया था कि हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पंचायतों एवं गाँवों तक फोकस करना चाहिए।

सुरक्षित ग्राम की अवधारणा की पूर्ति एवं माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेश के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार के बहु आपदा प्रवणता को दृष्टि में रख कर एक प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार किया गया एवं सभी आपदाओं को समाहित करते हुए प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई। लक्ष्य रखा गया कि यह पुस्तिका वार्ड स्तत तक प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा सके जिससे सीधा आम जन तक को आपदाओं के जोखिम के प्रति संवेदित किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया कि जिले के सभी प्रखंडों से एक-एक मुखिया एवं सरपंच को राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाय। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने-अपने प्रखंडों में अवस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्य एवं सभी पंचों को 100 की संख्या में बैच बना कर प्रशिक्षित करेंगे एवं उन्हें प्रशिक्षण पुस्तिका भी दी जाएगी। प्रशिक्षण व्यय हेतु प्राधिकरण स्तर से जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्रमुख स्तर पर प्रशिक्षित जनप्रतिनिधि अपने-अपने ग्राम/वार्ड में वार्ड सभा कर विभिन्न आपदाओं की जानकारी एवं बचने के उपायों के प्रति संबर्दित करेंगे। प्रशिक्षण माड्युल एवं सूची प्राधिकरण के बेवसाइट पर डाला जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक आम जन इसे देख सकें।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2018 से राज्य के 38 जिलों में सरपंच, मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

जनवरी 2018 में 35, फरवी 2018 में 191, मार्च 2018 में 144, कुल 14 जिलों के 370 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पंचायती राज संस्थाओं के सभी जिलों में प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्राधिकरण कई कार्यक्रमों का आगाज किया गया। जिसमें से एक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण है। बिहार प्रशासिनक सेवा के पदाधिकारियों के ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषयक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा – अनुमंडल, जिला एवं राज्य स्तर, पर पद–स्थापित पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की अवधारणा में Paradigm परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों, यथा– रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पोंस, पुर्नस्थापना एवं पुर्ननिर्माण आदि, के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहुआपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम, नीतियों, राज्य आपदा प्रबंधन

योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकारण रोड मैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राजय सरकार द्वारा गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पोंस में गति आयेगी एवं आपदा प्रभावितों के बचाव तथा उन्हें ससमय राहत उपलब्ध कराने में सूहलियत होगी।

प्राधिकरण की 10वीं एवं 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा' जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी माह में दिनांक 16.01. 2018 से प्रारंभ किया गया है। पदाधिकारियों के Trainging need की पहचान कर सचिवालय स्तर पर पदस्थापित बि0प्रे0से0 के पदाधिकारियो एवं जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का अलग-अलग माड्यूल विकसित किया गया तथा तद्नुसार प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्रे0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अब तक कुल 200 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

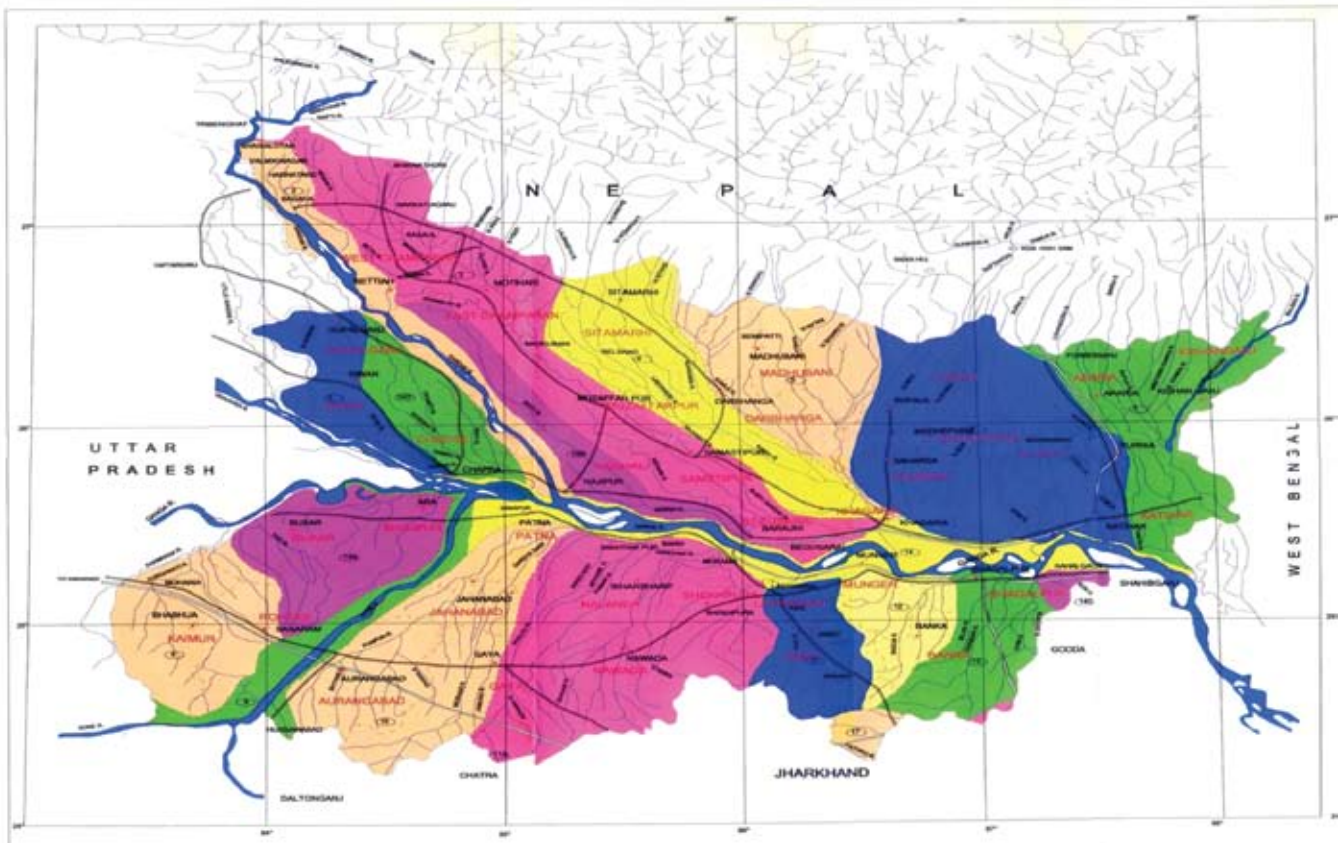

अभियंतओं/वास्तुविदों/संवेदकों/ राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

बिहार राज्य के नेपाल से सटे 8 जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा एवं किशनगंज भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं और भूकंप जोन V में आते हैं। 24 जिले भूकम्प जोन IV के अन्तर्गत आते हैं और शेष 6 जिले भूकम्प के जोन III में आते हैं। इस प्रकार, करीब-करीब पूरा बिहार, संवदेनशील भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ता है।

भूकंम्प की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तथा इसे रोका नहीं जा सकता, परंतु भूकंप के कारण होने वाली जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भूकंप के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती परन्तु भूकंप से जो भवन गिरते हैं, उसके कारण मृत्यु होती है। आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में, भूकंप प्रभावितों को सहायता पहुँचाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि भूकंप के कुप्रभावों का शमन करने हेतु निरंतर कार्य किए जाय। यह तभी संभव है जब राज्य में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण हो तथा पूर्व में निर्मित मकानों का रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाया जाए।

नये भूकंपरोधी भवनों को बनाने तथा पुराने भवनों के रेट्रोफिटिंग के लिए पहला काम

है कि निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमतावर्द्धन किया जाए तथा संवेदकों एवं आमजन को भूकम्परोधी भवनों के निर्माण करने हेतु जागरूक किया जाए। अतएव, बिहार सरकार द्वारा सभी अभियंताओं/वास्तुविदों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण एवं भूकम्प के दृष्टिकोण से सुदृढ़ीकरण (रेट्रोफिटिंग) की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने एवं संवेदकों के संवेदीकरण का निर्णय लिया गया तथा यह कार्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपा गया।

इस निर्णय के अनुसार में प्राधिकरण द्वारा अभियंतओं की Training Need की पहचान कर वरीय अभियंताओं, जिला स्तरीय अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्युल तथा तदनुसार प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी एवं जनवरी 2017 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर, 2017 तक मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए चयन में 12 अभियंताओं में 37 चयनित किए गए।

राजस्तरीय 150 अधीक्षण अभियंता/ मुख्य अभियंता एवं अभयंता प्रमुखों को प्रशिक्षित किया गया। पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा के 405 कनीय सहायक एवं कार्यपालक अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया।

- जनवरी 2018 से मार्च 2018 के मध्य पटना जिला के अवशेष बचे 74 कनीय सहायक एवं कार्यपालक अभियंताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों एवं विद्यालयों के हेतु RVS कार्य योजना बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 89 अभियंताओं ने भाग लिया।
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु तीन दिवसीय अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें 112 अभियंताओं ने भाग लिया।
- सात दिवसीय राजमिस्त्रियों के ट्रायल प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो बैच में पटना जिला के 64 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

बिहार भूकम्प दूरमापी यंत्र की स्थापना

भूकम्प की दृष्टि से हिमालयन क्षेत्र के निकट होने के कारण बिहार के भू-भाग भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील है। बड़े भूकम्पों के अलावे जमीन के अन्दरूनी भाग में भूकम्प उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले विभिन्न अपभ्रन्स (faults) हैं, जो इस भू-भाग में आन्तरिक रूप से लगातार क्रियाशील हैं।

इस प्रकार की भूकम्पीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक पाया गया कि बिहार के भू-भाग में भूकम्पीय स्थिति एवं इसके बदलाव पर सतत निगरानी बरती जाय तथा इसके आंकड़ों को इकट्ठा का इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाय। अध्ययन निष्कर्षों का प्रयोग क्षेत्र विशेष में भूकम्परोधी भवन निर्माण के तकनीक में किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्ष 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रो0 आनन्द स्वरूप आर्य, तत्कालीन सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य बिहार के भूकम्पीय गतिविधियों पर सतत निगाह रखने हेतु उपायों पर परामर्श एवं अनुशंसा करना था। समिति द्वारा अनुशंसित किया गया बिहार के 10 जिला जो भूकम्पीय दृष्टि से अति संवेदनशील है, में भूकम्प दूरमापी तंत्र विकसित किए जाए तथा आंकड़ों का सग्रहण केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र, पटना में विकसित किया जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में बिहार के 10 जिलों, में भूकम्पीय वेद्यशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं आँकड़ों के संग्रहण हेतु केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र, पटना विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस केन्द्र पर VSTAT के माध्यम से आँकड़े प्राप्त किए जाएगे, जिनका विश्लेषण केन्द्र पर लगे कम्पयूटर के माध्यम से होगा। एकत्रित आंकड़ों का उपयोग कर बिहार के अन्दरूनी भूभाग की संरचना की जानकारी प्राप्त करने, भूकम्प आने की दशा में कितना प्रभाव होगा इसका अध्ययन किया जाएगा।

इस तंत्र की स्थापना हेतु एक निदेशक की नियुक्ति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में की जा चुकी है। वेद्यशालाओं के निर्माण पूर्ण होते ही कुछ वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी।

बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र को विकसित करने हेतू अभी निम्न कार्य किया गया है

i. भूकम्पीय जोन IV एवं जोन V में आने वाले 10 जिलों में क्षेत्रीय वेद्यशालाओं की स्थापना हेतु स्थल चयन एवं तकनीकी सर्वे कराया चुका है।
ii. क्षेत्रीय वेद्यशालाओं के भवन निर्माण का कार्य बिहार भवन निर्माण निगम लि0 को सौपा गया, तदनुसार निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर संवेदक का चयन होकर चार जगहों (मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, मोतीहारी) में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
iii. शेष छः जिलों में चयनित स्थलों में भवन निर्माण में गतिरोध को फरवरी के तृतीय सप्ताह में भ्रमण कर दूर लिया गया है। वेद्यशालाओं के भी भवन निर्माण का कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में है।
iv. केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र पटना विज्ञान महाविद्यालय परिसर में लगाया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय से चर्चा कर हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया जारी है।

सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण

विगत वर्षों में हुई नौका दुर्घटनाओं में अलग-अलग स्थानों पर काफी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुरक्षित नौका परिचालन के लिए रणनीति एवं कार्य योजना विकसित करने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून 2017 को पटना में किया गया। जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा खगड़िया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और पटना से नाविकों ने भाग लिया। तदनुसार सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

इस कार्ययोजना के निम्नांकित घटक (Component) है-

- क्षमता निर्माण (Capacity Building)

- जन-जागरूकता (Awareness)
- प्रवर्तन (Enforcement)
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना के आलोक में सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल एवं साम्रगी का निर्माण किया गया। मॉड्यूल के निर्माण के उपरांत NINI के सहयोग से जुलाई 2017 से चयनित 29 जिलों के नाविको एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतू मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया जो समाप्ता हो गया है। आम जन के जानकारी हेतु प्रशिक्षण मॉड्युल को प्राधिकरण के वेबसाइट पर डाला गया है।

जनवरी 2018 से मार्च 2018 के मध्य इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से जिला स्तर पर नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा राहा है जिसके तहत सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षित नाविकों / नाव मालिकों को प्रशिक्षण सामग्री एवं पुस्तिका उपलब्ध करायी जाती है।

l= l[;k	frfFk	izf'k{k.k esa 'kkfey ftys	LFkku	dqy izf'kf{kr ekLVj izf'k{kd
1	26.07.2017 से 28.07.2017	पटना, बक्सर, भोजपुर	NINI, गायघाट, पटना	21
2	02.08.2017 से 04.08.2017	सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय		20
3	09.08.2017 से 11.08.2017	खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय		18
4.	13.09.2017 से 15.09.2017	कटिहार, पूर्णियाँ, सुपौल		24
5	20.09.2017 से 24.11.2017	सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा		20
6	22.11.2017 से 24.11.2017	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण		21
7	26.11.2017 से 30.11.2017	गोपालगंज, सीवान, किशनगंज		19
8	13.12.2017 से 15.12.2017	पश्चिम चम्पारण, अररिया, शेखपुरा, नालंदा		20

जनवरी 2018 से मार्च 2018 के मध्य इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से जिला स्तर पर नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें अब तक कुल 2137 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या
1.	भागलपुर	730
2.	कटिहार	220
3.	मधेपुरा	366
4.	सहरसा	190
5.	मधुबनी	198
6.	दरभंगा	214
7.	समस्तीपुर	219
	कुल	2137

सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षित नाविकों/नाव मालिकों को प्रशिक्षण सामग्री एवं पुस्तिका उपलब्ध करायी जाती है।

नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/ सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

सुरक्षित नौका परिचालन की कार्ययोजना के आलोक में बिहार आदर्श नौका नियमावली - 2011 में वर्णित नियमों एवं प्रावधानों के अनुपालन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण को कारगर बनाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण मोडयूल एवं प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका विकसित किया गया है। जिसे प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी रखा गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को नावों की संरचना, उनके मुख्य भाग, नावों का निबंधन, भार क्षमता का आकलन, लोड लाईन का रेखांकन एवं अनुपालन, सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण ों की जानकारी, जैसे नाव रोकने के लिए लंगर, रात्रि में प्रकाश स्त्रोत की व्यवस्था, नावों में जीवन रक्षक एवं अग्निशमन आदि के उपकरणों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में अवगत कराया जाता है। अभी तक कुल 5 बैचों में विभिन्न जिलों में अधिसूचित निबंधकों/ सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

l= l[;k	frfFk	if'k{k.k e 'kkfey	LFkku	dy if'kf{kr ekLVj if'k{kd
1	15.02.2018 से 17.02. 2018	पटना		21
2	07.03.2018 से 09.03. 2018	पटना, सारण, शिवहर		23
3	15.03.2018 से 17.03. 2018	बेगूसराय	NINI, गायघाट, पटना	23

सड़क सुरक्षा सत्याग्रह

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी संख्या में होती है। कई नई सड़कों के निर्माण एवं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। थोड़ी सावधानी बरत कर एवं सजग होकर हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा लोगों को सजग करने हेतु प्राधिकरण द्वारा सड़क सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तृतीय चरण में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 7 जनवरी 2018 को पटना, सम्पतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, जहानाबाद एवं मखदुमपुर पथ पर 'सड़क सुरक्षा सत्याग्रह' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ 7 जनवरी को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बाइकर्स (मोटरसाईकिल चालक) ही सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। इस अवसर पर अग्निशाम सेवा एवं होम गार्ड्स के महानिदेशक श्री पी. एन. राय एवं ट्रैफिक एस.पी.श्री.पी.के. दास के अतिरिक्त कई अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे इस अवसर पर डॉ.पी.सिकंदर, Road Safety Expert ने कहा कि देश में डेढ़ लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है जिसमें 35 फीसदी बाइक चलाने वाले लोग है।

सड़क सुरक्षा सत्याग्रह के सदस्यों, निर्माण कला मंच तथा बुलेट राइडर, Swadesh Parking and Towing Sevices Ortheco (Prosthetics and Orthotics) एवं Red Cross आदि के द्वारा पटना, सम्पतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, जहानाबाद एवं मखदुमपुर आदि पथमार्ग पर नुक्कड़ नाटक करके एवं सड़क सुरक्षा के संदेशों का समुदाय के साथ-साथ, पदयात्रियों, दो एवं चार पहिया वाहनों के चालकों एवं यात्रियों में प्रसार किया गया ।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों जैसे ब्रिगेड ऑफ बुल्स राइडर(बुलेट क्लब ऑफ बिहार) निर्माण कला मंच, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पटना, कम्युनिटी पुलिस पटना, आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, युगांतर एवं सकल्प ज्योति आदि के साथ 11 मार्च 2018 को प्रात: 07.30 बजे से 05.00 बजे अपराह्न तक पटना-फतुहा -खुसरूपुर-बख्तियारपुर-बाढ़ एवं मोकामा का शुभारंभ संजय गाँधी जैविक उद्यान, गेट नं. . 2 से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया।

सत्याग्रह दल के सदस्यों ने समुदाय के साथ-साथ, पदयात्रियों, दो एवं चार पहिया वाहनों के चालकों एवं यात्रियों आदि को जागरूकता के तरीकों जैसे नुककड़ नाटक, अनुशासित बुलेट/दो पहिया राइट, शिक्षाप्रद पम्फलेट्स का वितरण, हस्ताक्षर अभियान एवं बातचीत के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु संवेदित किया गया । जन जागरूकता के इस अभियान दल द्वारा उल्लेखित पथ के अन्य चौक-चौराहों पर भी सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों से जन सामान्य को परिचित कराया गया।

Developing Action Plan for Prevention / Reduction of Road Accidents

- A Report

Some facts about Road accidents: India

- 1374 accident daily in India (2015)
- 400 Death daily due to road accident in India (2015)
- Total 4,89,400 road accident in India (2014)
- Total 5,01,423 road accident in India (2015) 2.5% Increase from 2014.
- 1,39,671 death in 2014 due to road accident in India.
- 1,46,133 death due to road accident in India in 2015. 4.6 % increase from 2014 to 2015.
- 4,93,474 people injured in India due to road accident in 2014.
- 5,00,279 People injured in India in 2015. An increase of 1.4 %
- 54.1% death in 2015 by road accident young and adolescent (15-34 years)
- 53.8% Accident in Rural area in 2015.
- Out of total death 61% In Rural area in 2015.

S. No.	Year	Total Road Accidents (Including the accident happened at Railway unmanned crossing)	Percentage Decrease (%)	Persons Killed	Persons injured
1	2016 (Tentative)	8222	13	4864	5444
2	2015	9555	01	5413	5579
3	2014	9556	6	4909	6635
4	2013	10200	1	2056	7080
5	2012	10320	3	5052	7136
6	2011	10673	3	5066	7067

(Source : CID, Govt. of India)

S. No.	Year	Total Road Accidents	Percentage Increase (%)	Persons Killed	Persons Injured
1	2010	11033	8% Increase	5137	8106
2	2009	10063	10% Increase	4390	7113
3	2008	8997	13% Increase	3990	6359
4	2007	7774	-	3482	5971

(Source : Promoting Road Safety Awareness_BP_BSRTC)

- Maximum death through two wheeler and overloading

(Source : Ministry of RT and H, GOI)

DRR Road Map

- DRR Road Map Implementation approach is Multi-hazard focus
- Understanding the Risk and Risk Realisation
- Substantial Reduction in live lost due to transportation related disasters over baseline level by 2030.

Causes of Road Accidents

- (Ref. : A study of IIT Bombay, February 19, 2014)

1. Road Users:

- Excessive speed and Disorderly Driving (In appropriate driving behavior is considered to be one of the major cause)
- Use of Mobile Phone on the Road
- Violation of traffic rules
- Overloading
- Carelessness, fatigue, alcohol and sleep

2. Vehicle Defects:

- Failure of brakes, steering system, tyre burst, lighting system

3. Road Condition:

- Uneven road surface, Open holes, ruts. (A deep track made by the passage of wheels)

Causes of Road

4. Road Design :

- Inadequate width
- Improper curve design
- Improper lighting

5. Environmental factors

- Unfavourable weather conditions like mist, snow, smoke
- Heavy rainfall which restrict normal visibility and makes driving unsafe

6. Other causes

- Improper location of advertisement boards, hoardings.
- Railway crossing gates not closed when required etc
- Unmanned Crossings
- Road Rage

Cause of Road Accident : Patna

- Date : 18 February 2017
- Time : 10 : 30 PM
- Ocation : Income Tax Round About, Near Vidyut Bhawan
- Case : Collision of Scorpio and Sumo
- Cause : Front Right Tyre Burst of Sumo approaching towards the income tax round about and collided to Scorpio.
- Fortunately no such causality reported minor wounds reported to Sumo driver

Probable Causes of Road Accident : Patna

- Date : 23 Feb 2017
- Time : 8:30 PM
- Place : Near Saguna More
- Three Youth died, one seriously injured

Probable Cause of Accident :

- Race Competition between bike and Car and obstruction on the way.
- Emergency Beak by Driver or colleague

Black Spots

- Transport Department, Govt. of Bihar defined the highly accidents prone areas as black spots.
- Junctions or a spot having 10 accidents in a calendar year declared as Black Spot.
- Now at more than 10 sites in all the 38 districts (Accepted by State Road Safety Council on 3 May 2016).

Black Spot Site : Bypass More Mithapur
Date of Visit :7 March 2017

Black Spot Site : Bypass More Mithapur

Key Observations: Black spot Site Mithapur Jaganpura More : Underpass made near accident prone site : NH-32 Near Ram Krishna Nagar(About 500-600 meters from Mithapur Bypass More

Underway made : No Signage, Upper Roof flat So that limited number of vehicle passes (During Rainy Season, Due to Chocked Drains communication disrupted)

- Disorderly flow of Traffic
- Disorganised construction work
- Auto Parking on the Road
- No Signage and Traffic Light/Signal
- Traffic Congestion
- Disobey of Traffic Rule
- Less number of Traffic Police and
- Traffic Regulator
- Impatient Traffic Behaviour
- Water logging at underpass site during
- Rainy Season.
- Design fault of underpass

A Comparative study of Road accident in India

1374 accident daily in India (2015), 400 Death daily due to road accident in India (2015), Total 4,89,400 road accident in India (2014), Total 5,01,423 road accident in India (2015) 2.5% Increase from 2014. 1,39,671 death in 2014 due to road accident in India, 1,46,133 death due to road accident in India in 2015. 4.6% increase from 2014 to 2015, 4,93,474 people injured in India due to road accident in 2014, 5,00,279 People injured in India in 2015. An increase of 1.4%, 54.1% death in 2015 by road accident young and adolescent (15-34 years), 53.8% Accident in Rural area in 2015, Out of total death 61% in Rural area in 2015)

Child- Focussed Vulnerability Assessment and City Resilience : Strategic Directions for Patna Urban

पर एक दिवसीय कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एवं यूनीसेफ के संयुक्त तत्वाधान में Child Focused Vulnerability Assessment and City Resilience: Stragetic Direction for Patna Urban पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार 6 फरवरी, 2018 को किया गया।

होटल लेमनट्री में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी ने जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बच्चें जोकि अत्यधिक संवेदनशील वर्ग है पर देखने को मिलता है, पर चर्चा की।

बिहार मे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। राज्य के कुछ जिले जो पहले बाढ़ से प्रभावित थे अब उन जिलों में सुखाड़ जैसी स्थिति रहती है। वहीं जिन जिलों में सुखे की स्थिति भी अब बाढ़ से प्रभावित रहता है। इस कार्यशाला के माध्यम

से जो भी सुझाव आयेंगे उन पर बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी विभागों के सामंजस्य से कार्य किया जायेगा।

डा0 शीराज वजीह, अध्यक्ष, गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप ने पटना शहर पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है खासकर बच्चों पर उसका असर अत्यधिक पड़ रहा है पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों के मुख्य मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता एवं पोषण हैं। उस पर एक अध्ययन भारत के 4 शहरों में किया गया जिसमें पटना भी शामिल था। अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में निकल कर आया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में मुख्य रूप से जल जनित बीमारियां में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया एव डेंगू, हवा जनित बीमारियों में अस्थमा, ब्रोंकांटिस एवं चर्म रोग में बढ़ोत्तरी हुई है। कम समय में अधिक वर्षा एवं शीत लहर साथ ही साथ जल जमाव के कारण बच्चों की स्कूल जाने में परेशानी होती है। शौचालय में कमी के कारण खुले में शौच के कारण भी बहुत-सी बीमारियों के साथ-ही-साथ बहुत-सी समस्याएँ आ रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आजीविका के साधन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जो अभिवंचित वर्ग के बच्चों में पलायन, बाल्य अवस्था श्रम, शरीरिक एवं मानसिक शोषण बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्रधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाता रहा है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 में वर्णित सुरक्षित शनिवार की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु इस वर्ष से अब राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, सरकार के विभिन्न विभागों, यथा समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, द्वारा संचालित विद्यालयों और सभी मदरसों, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में ''मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' कें अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि ''घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक'' विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों, नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लायी जाए ।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य

बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है, जो प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से कमोवेश प्रतिवर्ष प्रभावित होता रहता है। राज्य के 38 जिलों में से 8 जिले भूंकप के सर्वाधिक खतरनाक जोन V तथा 24 जिले जोन IV तथा शेष 6 जिले जोन III में आते हैं। इस प्रकार पूरा बिहार भूकम्प प्रवण है। बाढ़ की संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य के 15 जिले अति बाढ़ प्रवण तथा 13 जिले बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आते हैं । अगर गत वर्षो की बाढ़ के आँकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो जमुई एवं बाँका को छोड़कर राज्य के सभी जिलों के कुछ न कुछ भाग बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं। वर्ष 2016 की बाढ़ में राज्य के 38 जिले में से 31 जिले बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। वे जिले भी बाढ़ प्रभावित हुए थे जिन्हें बाढ़ प्रवण नहीं माना जाता । राज्य का दक्षिणी भूभाग सूखाड़ प्रवण है। परंतु पिछले 10 वर्षो के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अल्प एवं अनियमित वर्षापात के कारण राज्य के बाढ़ प्रवण जिले भी सुखाड़ की चपेट में जाते है। सड़क दुर्घटना, वज्रपात, अगलगी, चक्रवाती, तूफान, नाव दुर्घटना एवं डूबने से प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य शीतलहर एवं लू से भी प्रभावित होता रहता है।

ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित होनेवाले बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें आपदाओं के प्रभाव को सहन करने की क्षमता वयस्कों जितनी नहीं होती। पूरे देश में घटित पिछली कुछ विनाशकारी घटनाओं पर नजर डालने से पता चलता है कि असुरक्षित निमार्णो के ढह जाने, जानकारियों के अभाव, पहले से तैयारी न होने एवं आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी न होने के कारण विद्यालयों एवं घरों में बच्चों की ही मौंते ज्यादा हुई हैं।

आपदाओं से बच्चों के कुप्रभावित होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बच्चे किसी भी योजना निर्माण अथवा निर्णय का हिस्सा नहीं बनाये जाते, चाहे वह घर की कोई योजना हो या विद्यालय तथा सामुदायिक स्तर की कोई योजना हो। इस कारण उनकी क्षमतावृद्धि नहीं हो पाती है और वे बहुत सारी आपदारोधी क्षमतावृद्धि के लिए आवश्यक जानकारियों से वंचित रहते है। बच्चों की क्षमतावृद्धि से संपर्क का सशक्त माध्यम विद्यालय है। बिहार में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होनेवाले जिलों की कुल आबादी का लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है, अर्थात् लगभग आधी आबादी नई पौध की है। यदि बच्चे आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस में सक्रिय रूप से जुड़ेंगे तो न केवल वे सुरक्षित रहेंगे अपितु उनके माध्यम से समाज एवं राज्य को सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य

राज्य के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में 'मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य 'घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक' विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक (substantially) कमी लाना है।

उद्देश्य:

1. विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक, अभिभावक) में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उनके कुप्रभावों को कम करने के उपायों की समझ एवं क्षमता विकसित करना।
2. विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
3. विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों (संरचनात्मक/गैर-संरचनात्मक) से सुरक्षित रखना।
4. बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा (Resilience) की संस्कृति विकसित करना।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मूलत: गतिविधि उन्मुख (Activity Oriented) कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को न केवल जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा बल्कि उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपदाओं की रोकथाम विशेषकर आपदा पूर्व तैयारियों एवं आपदाओं के प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित रहेगा।

प्राधिकरण ने ''सुरक्षित शनिवार'' एवं ''मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' के सफल संचालन हेतु सहभागी प्रक्रिया द्वारा अवधारणा पत्र एवं प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका विकसित की है जिसे

सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण में दिया जाता है तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक फोकस शिक्षक तक पहुँचाया जाना प्रस्तावित है।

सुरक्षित शनिवार को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चयनित मास्टर ट्रेनर्स सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षक होते हैं।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 29 जनवरी 2018 से आरंभ किया गया।

मास्टर ट्रेनर्स का यह प्रशिक्षण जनवरी, 2018 से मार्च 2018 तक निम्नानुसार आयोजित किया गया :-

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक
1	29–31 जनवरी, 2018	पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं जमुई	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	40
2	1–3 फरवरी, 2018	सिवान, सारण एवं गोपालगंज	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	49
3	6–8 फरवरी, 2018	कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	50
4	15–17 फरवरी, 2018	शेखपुरा, पटना एवं नवादा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	54
5	20–22 फरवरी, 2018	शिवहर, सीतामढ़ी एवं नालन्दा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	47
6	5–7 मार्च, 2018	कैमूर, जहानाबाद एवं रोहतास	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	25
7	8–10 मार्च, 2018	सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	65
8	19–21 मार्च, 2018	गया, भोजपुर एवं अरवल	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	39
9	26–28 मार्च, 2018	मुंगेर, बेगूसराय एवं वैशाली	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	47

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कहा कि आपदा प्रबंधन की जानकारी सभी को हो यह अत्यन्त आवश्यक है इसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली शब्दावली यथा जोखिम, खतरें, संवेदनशीलता, नाजुकता, शमन, बचाव, पुर्नवास, पुर्नस्थापन, पूर्व की तैयारी जैसे शब्दों को परिभाषित कर के प्रतिभागियों को बताया। उन्होंने प्रतिभागियों से उनके जिलें में समान्यत: आने वाली क्षेत्रिय आपदाओं की जानकारी ली तथा कहा कि सभी को क्षेत्रिय आपदाओं की जानकारी होना आपदा प्रबंधन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से प्रखंड स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों, की विद्यालय सुरक्षा एवं आपदा पूर्व तैयारियों के प्रति जागरूकता, क्षमता, कौशल एवं व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु इस तरह के कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से लगातार किया जा रहा है।

प्राधिकरण के सदस्य, श्री पी0एन0 राय ने मास्टर प्रशिक्षकों संबोधित करते हुए कहा कि बच्चें हमारा भविष्य है और बच्चों का भविष्य शिक्षकों के उपर निर्भर होता है। बच्चें अत्यन्त संवेदनशील होते हैं और प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम तथा इसके अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी आपदा में न केवल शिक्षकों एवं बच्चों को जागरूक करना हैं बल्कि उनकों सुरक्षित रखना भी है।

शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि इन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला, प्रखंड एवं स्कूल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक विद्यालय में एक-एक शिक्षक को फोकस शिक्षक के रूप में प्रशिक्षत कर ''सुरक्षित शनिवार'' कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी का घटनाओं में रोकथाम हेतु आयोजित राज्यस्तरीय बैठक

प्रायः ऐसा देखा गया है कि पछुआ हवा के शुरू होते ही राज्य में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएँ बढ़ने लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आग की वजह से फूस के घर, खेत खलिहान एवं जान-माल की क्षति अत्यधिक होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की बढ़ती घटनाओं को कम करने, रोकथाम करने तथा ग्रामीणों में जन-जागरूकता हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अपने सहभागियों साथ मिलाकर व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है।

इसी क्रम में मार्च माह के राजस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई बिंदुओं पर मंथन किया गया एवं निर्णय लिया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं में रोकथाम हेतु राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन मंगलवार 6 मार्च 2018 को नियोजन भवन के सभागार में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में मार्च से जून माह तक भीषण गर्मी पड़ती है। इन दिनों पछुआ हवा चलने के कारण गर्मी की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। फलतः राज्य में अगलगी की घटनाओं में अप्रत्याशीत वृद्धि होने लगती है। अगलगी के कारण न केवल घरों, खेतों खलिहानों तथा खड़ी फसलों को नुकसान होता है अपितु बहुमुल्य मानव तथा पशु जिन्दगियाँ भी अग्नि की भेंट चढ़ जाती है। वर्ष

2016 में अगलगी के कारण 150 से भी अधिक लोगों की मृत्यु राज्य में हुई थी तथा पशुओं, घरों एवं फसलों को काफी नुकसान पहुँचा था। उन्होंने कहा प्राधिकरण की ओर से हितधारकों के साथ मिलकर कार्य योजना पर कार्य करने की शुरूआत की गयी है।

श्री यू0के0 मिश्र, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने Concept of Fire Engineering की चर्चा प्रस्तुती की माध्यम से की। मौजूदा अगलगी की घटनाओं की रोकथाम की तकनीक में अगर बदलाव लाया जाए और एक नया Concept of Fire Engineering के जरिए अगलगी की घटनाओं को होने से ही रोक दें जान-माल की क्षति कम से कम होगी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं का मुख्य कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी/मिटटी के चूल्हे पर लकड़ी/गोइंठे से खाना बनाने के समय लापरवाही/खाना बन जाने के बाद चूल्हे की आग ने बूझाना। मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना आदि है। श्री मिश्र ने कहा कि अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तथा जागरूकता हो तो अगलगी की घटनाएं में होने वाली जाम-माल की क्षति को कम कर सकते है।

श्री पी0एन0 राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के बारह जिलों, यथा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा, बेगूसराय, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, पू0 चम्पारण0, प0 चम्पारण तथा मधुबनी को अगलगी के दृष्टि से Hot Spot जिले घोषित किया है को चिह्नित किया परन्तु राज्य के सभी 38 जिले अगलगी प्रवण (Fire prone) जिलों की कोटि में आते हैं। वर्तमान में राज्य में 124 अग्निशमालय हैं इसमें अतिरिक्त लगभग 300 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त अग्निशमन वाहन आवंटित है। अग्निशमन वाहनों की कमी है इसलिए अधिकतम प्रभावित पंचायतों/क्षेत्रों में Hot Spot चिन्हित कर इन वाहनों का Pre Position कराये जाने से बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा जिलों में हो भी रहा है।

अगलगी के प्रमुख कारण

राज्य में अगलगी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं:

- बिजली का शॉर्ट सर्किट ।
- बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- मिटटी के चूल्हे पर लकड़ी/गोइंठे से खाना बनाने के समय लापरवाही/खाना बन जाने के बाद चूल्हे की आग को न बुझाना।
- खाना बनाते समय साड़ी का आंचल या दुपटटा का ख्याल नहीं रखने से उनमें आग पकड़ने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। नाइलॉन या सिंथेटिक कपड़े ज्वलनशील होते हैं तथा आग पकड़ने पर पिघल कर शरीर से चिपक जाते हैं।
- जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है, वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/लीक होना।

- स्टोव में क्षमता से अधिक तेल भरना।
- बरसात के मौसम में जलावन गीला रहने से कारण खाना बनाने के बाद लकड़ी को सुखाने हेतु चुल्हे पर छोड़ देना।
- चूल्हे के पास अधिक जलावन रखना।
- घरों में ढिबरी के इस्तेमाल में लापरवाही।
- मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना।
- पेड़ों, खेतों अथवा घरों की छतों से होकर गुजरते बिजली के कमजोर तारों के तेज हवा में टूटना।
- बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी।
- गेहूँ की कच्ची बाली एवं खेसारी की छेमी को आग पर (बच्चों/ग्रामीणों द्वारा) खेत के पास ही भूनना।
- गेहूँ कट जाने के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- शादियों में पटाखों के इस्तेमाल में लापरवाही।
- अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।
- बीड़ी/ सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यत्र -तत्र फेंक देना।
- पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।

अगलगी रोकने के प्रयासों में कमियाँ

अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण न हो पाने की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं:

- अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु संबंधित हितधारकों की सहभागिता कार्य योजना का न होना।
- अगलगी की घटनाओं की रोकथाम हेतु विभिन्न हितधारकों करने की क्षमता में कमी।
- अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण की जगह केवल रिस्पांस पर बल देना।
- अगलगी के आकड़ों के संग्रहण एवं घटनाओं के दस्तावेजीकरण में कमी।
- समुदाय की भागीदारी में कमी।
- समुदाय के क्षमतावर्द्धन में कमी।
- आकस्मिकता/फायर ड्रिल की कमी।
- अनुक्रिया की तैयारी में कमी।

बिहार दिवस, 2018

बिहार के 106वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैवेलियन में लोगों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र का ''सक्षम समुदाय : सुरक्षित बिहार'' थीम पर आयोजित बिहार दिवस में प्राधिकरण के विभिन्न भागीदारों के सहयोग से विभिन्न आपदाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

जिसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के संबंध में जागरूकता और उनके न्यूनीकरण को लेकर किये जा रहे प्रयासों से जनमानस को रू-ब-रू कराना था, जिससे आपदा को कम किया जा सके। 'बिहार दिवस समारोह' में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ लगभग 20 स्टॉलों के जारिये आपदा के विभिन्न आयामों के बारे में जनमानस को पूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है इस पवेलियन में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गयी थी साथ ही अभियंताओं, राजमिस्त्रियों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाये गए।

इस बार के मुख्य प्रतिभागियों में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस, आक्सफेम, बिहार राज्य अग्निशन सेवा, पटना ट्रैफिक पुलिस, सेव द चिल्ड्रेन, जी0पी0 सिन्हा इंस्टीच्यूट, वर्ल्ड विजन, बिहार वेटनरी कॉलेज, प्लान, इंण्डिया, डिजास्टर टून्स, मपेट शो, सी0आर0एस0 कैरीटॉस, युगान्तर एवं BSDMA का भूकंप निर्माण तकनीक, भूकंपरोधी घर एवं बांस के घर इत्यादि था।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पेवलियन का उद्घाटन 22 मार्च, 2018 को श्री दिनेश चन्द्र यादव तथा समापन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के पवेलियन में विभिन्न

सहयोगी एजेन्सियों द्वारा लगाये गए स्टॉल में दिलचस्पी दिखायी और सभी से उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिविल डिफेंस, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा आयोजित मॉकड्रिल और SDRF उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्राधिकरण का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है और लोगों को यहाँ से ही और लोगों तक उसे पहुंचाना चाहिए।

इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी, सदस्य डॉ0 उदयकांत मिश्र, एवं सदस्य, श्री0पी0एन0 राय के अतिरिक्त सहभागी एजेन्सियां उपस्थित थे।

23 मार्च, 2018 को लगभग छः हजार लोगों ने आपदा प्राधिकरण के पवेलियन में आपदा संबंधी जानकारियाँ प्राप्त की। सेव द चिल्ड्रेन के स्टॉल पर बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न आपदाओं पर पेटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न आपदाओं पर पेटिंग बनाई तथा पुरस्कार भी प्राप्त किया। अग्निशमन सेवा के स्टॉल पर बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने अग्नि सुरक्षा संबंधी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया।

पवेलियन में अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त एस0डी0आर0एफ0के स्टॉल पर खून जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाईट एवं वेट की जांच की गई। साथ ही लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। लोगों के उत्साह को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि लोग न केवल आपदा के प्रति बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हुए हैं। दो दिवसीय बिहार दिवस के समापन समारोह में प्राधिकरण ने पैवेलियन में विभिन्न भागीदारों द्वारा लगाए गए स्टॉल के लिए सम्मानित किया गया।

बिहार दिवस 2018 की कुछ झलकियाँ

जिला आपदा प्रबंधन योजना का प्रगति प्रतिवेदन

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार बिहार के प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) स्थापित की गई है। साथ ही प्रत्येक जिले का जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना अनिवार्य है। इसी के संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु 09 एजेंसियों के द्वारा कार्य कराई जा रही है। जिसकी विवरणी निम्नवत है: -

क्र0सं0	एजेन्सी का नाम	जिला का नाम
1	AIDMI, Ahmedabad	सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण
2	Prof. G.P.Sinha Centre for DMRD, Patna	पटना, वैशाली, नालंदा, कैमूर, रोहतास
3	PGVS, Lucknow	किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया
4	Caritas India, Patna	सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर
5	Knowledge Links Pvt. Ltd., Ghaziabad	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
6	RMSI, Noida	बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका
7	CDDMASS, Gurgaon	नवादा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी
8	Global Rescue Consultants Pvt. Ltd. New Delhi.	गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद
9	GEAG, Gorakhpur	सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, भोजपुर

बिहार के 38 जिलों में से सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज एवं सिवान जिला का योजना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त है जिसे संबंधित ऐजेन्सी द्वारा प्राधिकरण के सभाकक्ष में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं जिला के सभी Line Department के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रस्तुतीकरण कर स्वीकृति देने की आवश्यक कार्रवाई की जानी है। ये सभी प्रतिवेदन प्राधिकरण कार्यालय को अभी प्राप्त नहीं हुए है। शेष जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण कार्य अंतिम रूप से एजेन्सी द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन है।

साथ ही (1) सुपौल (2) वैशाली (3) कैमूर (4) रोहतास एवं (5) नालंदा जिला का योजना अंतिम रूप दिया जा चुका है।

निमार्णाधीन सेप्टिक टैंक में दम-घुटने के दुर्घटना: कारण बचाव

9 सितंबर 2017 को सिवान जिले के महादेवा थाना के नई बस्ती में एक निमार्णाधीन सेप्टिक टैंक में एक मजदूर लकड़ी का सेंटिंग खोलने टंकी के अंदर गया। थोड़ी देर बाद कोई हलचल नहीं होने पर ऊपर के अन्य साथी उसकी खोज-खबर लेने और मदद करने नीचे उतरे। सभी जहरीली गैस से प्रभावित होते गए, और तुरंत बेहोश होते गए। जब तक उनको बाहर निकाला जाता, तब तक चार मजदूरों की दम घुटने से मृत्यु हो गयी।

17 जुलाई 2017 को सीवान जिले के पचरूखी थाने के गोपालपुर गाँव में निमार्णाधीन शौचालय का सेंटरिंग खोलने के दौरान टंकी से निकली जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मृत्यु हो गयी थी।

प्रश्न चिंतनीय था, कि निमार्णाधीन शौचालय का सेंटरिंग खोलने के दौरान टंकी से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है? सिवान में ही यह हादसा बार-बार क्यों हो रहा है? अन्वेषन की गयी तो पहली जानकारी यह मिली कि 20 जून 2014 को कटिहार के कोठिया बाजार में भी इसी प्रकार के हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 15 जुलाई 2017 को ही दिल्ली के बसंतकुंज के पास घीटोरनि में भी 4 मजदूरों की मौत इसी तरह के निमार्णाधीन शौचालय के टंकी में गैस दुर्घटना से हुई। गुरगांव के नथुपुर में 4 अगस्त 2012 को दो मजदूरों की मृत्यु निमार्णाधीन पानी टंकी के सेटरिंग खोलने के लिए नीचे उतरने पर हुई। 22 अगस्त 2017 को ही छत्तीसगढ़ के सूरजपूर के लटोरी गाँव में इसी तरह के दुर्घटना में चार मजदूरों की मृत्यु हो गयी। और छानबीन की गयी, तो ज्ञात हुआ कि यह घटना उड़ीसा, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ नेपाल, बंगलादेश में भी हो चुका है। यह जहरीली गैस दुर्घटना किसी जिले तक सीमित नहीं है। इस तरह की दुर्घटना सर्वव्यापी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सारी दुर्घटना जुलाई से अक्टूबर के बीच हुई है, जब हवा में आद्रता होती है। हवा में जल के आद्रता के कारण कई गैस स्वत: ही वाष्प (vapor) के बन जाते हैं, और हवा से भारी हो जाते हैं। आयतन के अनुसार वहा में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस है। शेष 1% में ऑर्गन, कार्बन डाईऑक्साइड व अन्य गैस है। हवा में 19 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन की मात्रा होने पर व्यक्ति के लिए असुरक्षित माना जाता है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस गंधहीन और रंगहीन होता है, इसलिए किसी भी जगह उसकी मात्रा बढ़ने भी किसी भी व्यक्ति को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता।

दुर्घटना का कारण

हालांकि नाइट्रोजन गैस वहाँ से हल्की है, परन्तु नाइट्रोजन गैस वाष्प रूप (vapor form) में हवा से भारी हो जाता है, फलत: जमीन के सतह पर फैल जाता है। इसी जमीन पर फैलने के गुण के कारण जमीन के नीचे वाले सतह खाली/ निमार्णाधीन टंकी में धीरे-धीरे इक्कठा हो जाता है। नाइट्रोजन गैस धीरे-धीरे निमार्णाधीन खाली टंकी में भर कर ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है। टंकी के अंदर हवा में ऑक्सीजन कमी होने पर तुरंत मस्तिष्क पर असर होता है, और लकड़ी का सेटिंग खोलने अंदर गया मजदूर बिना मदद माँगे ही बेहोश हो जाता है। 5-6 मिनट में ही व्यक्ति की क्लीनिकल डेथ से बॉयोलौजिकल डेथ हो जाती है।

वायु में ऑक्सीजन की कम प्रतिशतता होने पर मस्तिस्क (brain) पर तुरंत असर होन लगता है। ऑक्सीजन के बिना सांस लेने के 5 सेकेंड के अंदर ही खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कुछ सेकेंड के बाद ही कमजोरी, चक्कर आने के लक्षण परिलकक्षित हो जाते हैं। मस्तिष्क में सामन्जस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। मस्तिष्क अक्षम होने और चक्कर आने के कारण ग्रसित व्यक्ति मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पाता। मृत्यु दो से चार मिनट के अंदर हो जाती है।

गैस जो हवा से भारी हैं:

एलपीजी LPG गैस यानी रसोई का सिलेंडर (प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण) हवा से डेढ़ गुना भारी है, इसलिए अगर घर के ऊपर के मंजील में रसोई में एलपीजी गैस का रिसाव होने पर गैस नीचे आने लगती है, और नीचे के मंजिल पर रहने वाले/घर तुरंत प्रभावित हो जाती है।

अन्य भारी गैस जो वातावरण मे पाई जाती है वो हैं :

ऑक्सिजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन- सल्फाइड। ऑक्सिजन को छोड़ सभी या तो तीक्ष्ण गंध युक्त या रंगीन होते है, अत: आसीनी ने अनुभव कर लिए जाते है, और दुर्घटना टल जाने की संभावना होती है। गंधहीन और रंगहीन गैस की उपस्थिति का पता लगना कठिन है।

हवा से हल्की गैस हैं:

अमोनिया, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, निओन, हीलियम। इनके रिसाव होने पर हवा के बहाव के दिशा में बहते हुये धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठने लगते हैं।

नाइट्रोजन गैस का सतह के नीचे के खाली जगह मे काबिज होने तथा ऑक्सिजन को हटाने की गुण है।

(Nitrogen Gas is having tendency to occupy confined space and displace oxygen Gas from that area)

सेप्टिक टैंक में नाइट्रोजन गैस से दम-घुटने के दुर्घटना रोकने का उपाय:

जलती लालटेन/डिबड़ी को रस्सी में बांध कर अंदर डालें, 5.7 मिनट तक अगर वो जलती रहती है, तो इसका मलतब, अंदर उचित मात्रा में ऑक्सीजन है। अगर लालटेन बुझ जाती है, मतलब, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, या नहीं है। निमार्णाधीन टंकी खतरनाक गैस से भरी है।

दूसरा तरीका यह है की किसी पक्षी को पिजरा में डाल कर अंदर उतारे, 4.5 मिनट के बाद उस पर असर देंखे।

अगर सेप्टिक टैंक में जहरीला गैस है तो:

- एयर से जमा गैस को बाहर निकालें। आस-पास की आबादी को हटा दें। साफ हवा अंदर भरें।
- अगर उपलब्ध हो तो लेकर सशंकित सेप्टिक टैंक में सेटरिंग खोलने भेजे।
- राजमिस्त्री और सामान्य जन को इस जहरीली गैस के दुर्घटना के बारे में और बचाव की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए।

यह प्रमाणित किया जाता है की ओलख मूल रूप से स्वरचित है, तथा अप्रकाशित है।

कृष्ण कुमार झा

(लेखक राज्य आपदा मोचन बल,
बिहार में उप-समादेस्टा हैं)

Mass Messaging/Whatsapp Advisory

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा व्यापक रूप से जन जागरूकता के लिए Mass Messaging Advisory का कार्य शुरू किया गया। Mass Messaging का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक आपदा के संदर्भ में पहुचना तथा आपदा के प्रति लोगों को सचेत एवं जागरूक करना है। इस तकनीक के जरिए प्राधिकरण द्वारा लगभग छः लाख विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों ,आशा कर्मचारियों -87 हजार, जीविका दीदी 1,47,000ए, अग्निशाम सेवा-170, इंजनियरों - 786, शिक्षकों - 605 आदि लोगों को Mass Messaging भेज जागरूक करने की कोशिश की जा रही है जिससे किसी भी आपदा के वक्त जान-माल की क्षति को कम किया जा सके। विभिन्न आपदाओं पर आधारित Message जैसेः - सड़क दुर्घटना, अगलगी, बाढ़, भूकंप, सुरक्षित घर-सुरक्षित परिवार, नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, नदियों-तालाबों में डूबने से बचने के उपाय इत्यादि पर Mass Messaging Advisory बनाकर उन आपदाओं से स्वयं तथा अन्य लोगों को जागरूक तथा सुरक्षित कैसे करें, किसी भी आपदा के वक्त क्या करें, क्या न करें की जानकारी लगातार प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ Whatsapp group Members आदि को भी Pictorial Advisory तथा Message के माध्यम से भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है।

अखबारों में प्रकाशित Advisory

ikf/kdj.k }kjk le;≤ ij rFkk fofHkUu **Safety weeks** d nkjku tu&tkx:drk d fy, **Advisory** v[kckjk e ikdkf'kr dh tkrh g ftlls fd ykx vkinkvk ls lpr ,o lrd jg ldA

tuojh ls ekp 2018 rd ikf/kdj.k }kjk Budk] ok;q inw"k.k] HkdEi ls lj{kk rFkk lMd lj{kk lIrkg ij v[kckjk e Budk] ok;q inw"k.k] HkdEi ls lj{kk rFkk lMd lj{kk lIrkg ij v[kckjk e **Advisory** tkjh fd;k x;kA

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह-2018
15-21 जनवरी 2018
भूकम्प से पहले
भूकम्प के समय
भूकम्प का झटका रुकने पर
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

भूकम्प से सुरक्षा के उपाय
भूकम्प का सामना करने के लिए
भूकम्प आने पर
यदि आप बाहर हैं
यदि आप स्टेडियम, सिनेमा घर में हैं
भूकम्प के झटके रुक जाने के बाद
बहुमंजिली इमारत में हैं
यदि आप गाड़ी चला रहे हैं
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

सड़क सुरक्षा सप्ताह
23-30 अप्रैल, 2018
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुरोध पर बीमा कंपनियों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के दावों को शीघ्र निपटाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृपया इससे लाभान्वित हों।
सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया
सड़क दुर्घटना संबंधी दावों को निपटाने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कागजात
दावों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कागजात आवश्यक है..
धीमी रखो वाहन की गति।
दुर्घटना में होगी कम क्षति।।
जनहित में जारी
धीमे चलें इससे पहले कि
जिंदगी रुक जाए।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

BBB	:	Build Back Better
CBO	:	Community Based Organisation
CBRN	:	Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
CCG	:	Central Crisis Group
CCS	:	Cabinet Committee on Security
CFCB	:	Central Flood Control Board
CGWB	:	Central Ground Water Board
CMG	:	Crisis Management Group
CPCB	:	Central Pollution Control Board
CWC	:	Central Water Commission
DDMA	:	District Disaster Management Authority
DEOC	:	District Emergency Operation Center
DM	:	Disaster Management
DMP	:	Disaster Management Plan
DRR	:	Disaster Risk Reduction
EIA	:	Environment Impact Assessment
EOC	:	Emergency Operations Centre
ESF	:	Emergency Support Functions
EWS	:	Early Warning System
GoI	:	Government of India
HRVA	:	Hazard Risk and Vulnerability Assessment
IDRN	:	Indian Disaster Resource Network
IMD	:	India Meteorological Department
INCOIS	:	Indian National Centre for Ocean Information Services
IRS	:	Incident Response System
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MHA	:	Ministry of Home Affairs
NCERT	:	National Council of Educational Research and Training
NDMA	:	National Disaster Management Authority
NDMF	:	National Disaster Mitigation Fund
NDMP	:	National Disaster Management Plan
NDRF	:	National Disaster Response Force
NEOC	:	National Emergency Operations Center
NGOs	:	Non-Governmental Organisations
NIDM	:	National Institute of Disaster Management
NIRD	:	National Institute of Rural Development
NPDM	:	National Policy on Disaster Management
NRSC	:	National Remote Sensing Centre
NSS	:	National Service Scheme
PRIs	:	Panchayati Raj Institutions
SDMF	:	State Disaster Mitigation Fund
SDRF	:	State Disaster Response Force
SDRN	:	State Disaster Resource Network
SEC	:	State Executive Committee
SEOC	:	State Emergency Operation Center
SHG	:	Self Help Group
SIDM	:	State Institute of Disaster Management
SIRD	:	State Institute of Rural Development
SOP	:	Standard Operating Procedure
SPCB	:	State Pollution Control Board
SRSAC	:	State Remote Sensing Application Centre
SRSC	:	State Remote Sensing Centers
ToT	:	Training of Trainers
UDD	:	Urban Development Department
UNDP	:	United Nations Development Programme
UNISDR	:	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
WRD	:	Water Resources Department

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह-2018

15-21 जनवरी 2018

भूकम्प से पहले

घर को सुदृढ़ कर भूकम्परोधी बनाएँ।

भारी एवं शीशे का सामान निचले खाने में रखें

अलमारी को वलैम्प से, दीवार में जकड़ दें।

बचाव एवं प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।

झुको–ढको–पकड़ो का नियमित अभ्यास करें।

आवश्यक सामान के साथ सुरक्षा किट तैयार रखें।

अपने आस–पास सुरक्षित स्थलों की पहचान कर लें।

बाहर जाने वाले रास्तों को बाधामुक्त रखें

भूकम्प के समय

हड़बड़ाकर मत भागें।

कमरे के अंदरूनी कोने के पास रहें।

मजबूत टेबल या पलंग के नीचे छिप जाएँ।

गिरने वाले चीजों से दूर रहें।

सिर को बचाएँ।

यदि गाड़ी चला रहे हों, तो

सड़क के किनारे रूकें, पुल पर न चढ़ें।

अपनी जगह पर शांत रहें, झटका रूकने पर, क्रम से बाहर निकलें।

पुलिस	100
अग्निशमन	101
एम्बुलेंस	102,108
राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष, पटना	0612-2217302
	0612-2217304
	0612.2217305

भूकम्प का झटका रूकने पर

गैस सिलिन्डर बन्द करें।

मेन स्विच ऑफ करें।

घर से बाहर निकलें।

लिफ्ट का उपयोग न करें। सीढ़ी से उतरें।

गिरने वाली चीजों से सिर को बचाएँ।

बिजली पोल, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ से दूर रहें।

खुले मैदान में आ जाएँ, घायलों की सहायता करें।

अफवाहों पर ध्यान न दें सरकार एवं प्रशासन से प्राप्त सूचनाओं का पालन करें

भूकम्प के उपरांत अगले एक–दो दिनों तक भूकम्पीय झटके **(After Shocks)** संभावित हैं। इस अवधि में विशेष सावधानी एवं चौकसी बरतने की आवश्यकता है। घबराएँ नहीं एवं धैर्य के साथ ऊपर बतायी गयीं सावधानियों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- 800 001, Tel. : +91 (612) 2522032, Fax. : +91 (612) 2532311

visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

www.bsdma.org

आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी॥

भारत प्रिंटिंग वर्क्स, 2018 प्रतियाँ : 2000 मुद्रित ।